## हिंदी के पेपर में गड़बड़ी पर मिलेंगे अंक, विशेषज्ञ किए जाएंगे डिबार

फॉलोअप

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा के पहले दिन बुधवार को इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी के प्रश्नपत्र में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसमें निर्धारित खंडकाव्य से प्रश्न न पूछकर दूसरे खंडकाव्य से पूछे गए थे। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने इस गड़बड़ी को 19 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लिया।

इस मामले में पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को डिबार करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक दिए जाने की बात कही है। बता दें कि इंटरमीडिएट में अलग-अलग जिलों के विद्यार्थियों के लिए छह खंडकाव्य निर्धारित हैं। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के विद्यार्थी मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का अध्ययन करते हैं। बुधवार को हुई परीक्षा में जौनपुर समेत अन्य जिलों में वितरित (301बीडी) संकेतांक वाले प्रश्न पत्र में मुक्ति यज्ञ नामक खंडकाव्य से प्रश्न नहीं आने से विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। बताया इस प्रश्न संख्या में रश्मिरथी, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, आलोकवृत्त और त्यागपथी खंडकाव्य से सवाल पूछे गए थे जो कि दूसरे जिलों के लिए निर्धारित हैं।

वैदान्तक वटी®
दर्द का अन्त, तुरन्त

सभी प्रकार के नसों की कमजोरी के लिए
आपके निकटतम आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध
MRP : Rs. 170/- (20 Tab)
सम्पर्क करें: 9837342187
*T&C apply

एमएससी पास सरगना समेत चार गिरफ्तार, नौ राज्यों में नेटवर्क

## कानपुर में फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का खुलासा

कार्रवाई

14 विश्वविद्यालयों की डिग्रियों संबंधित दस्तावेज बरामद

09 सौ से ज्यादा डिग्रियां मौके से पुलिस ने बरामद कीं

कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत चार को गिरफ्तार किया।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कमिश्नरेट पुलिस ने कानपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के एमएससी पास मास्टरमाइंड शैलेंद्र कुमार ओझा समेत चार लोगों को किदवईनगर थाना क्षेत्र के साकेतनगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। डिग्री माफिया का नेटवर्क देश के नौ राज्यों में फैला है। इनके पास से 14 विश्वविद्यालयों की 900 से ज्यादा डिग्रियां, पोस्ट डेटेड चेक, दो कारें, सीएसजेएमयू की माइग्रेशन बुकलेट और डिप्टी रजिस्ट्रार की नकली मुहर मिली है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गैंग से फर्जी कानून की डिग्री लेकर 10 वकील कचहरी में वकालत कर रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि इनके पास से सीएसजेएमयू की माइग्रेशन बुकलेट और डिप्टी रजिस्ट्रार की नकली मुहर और 80 फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना शैलेंद्र कुमार ओझा है, जो गणित से एमएससी है। वह मूलरूप से रायबरेली का रहने वाला है। इस गैंग का नेटवर्क देश के तमाम राज्यों दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ में फैला है।

### 1.5 लाख में बना देते थे इंजीनियर और वकील

फर्जी डिग्री बनाकर देने वाले गैंग के खुलासे के बाद पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गैंग 1.5 लाख में इंजीनियर-वकील की डिग्री बनाकर दे देता था तो 2.5 लाख में बीफार्मा और डीफार्मा की। इतना ही नहीं, 50 से 75 हजार रुपये में 10वीं और 12वीं की भी फर्जी मार्कशीट बनाकर देता था। पुलिस के मुताबिक कानपुर के 10 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इसी गैंग से एलएलबी की डिग्री हासिल की है और अब वकालत कर रहे हैं।

## सख्ती: निर्माण कार्य में पीने का पानी प्रयोग नहीं कर सकेंगे

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने गिरते भूगर्भ जल स्तर को देख निर्माण कार्यों में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। साथ ही निर्माण के लिए भूगर्भ जल प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद की ओर से गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि भवन निर्माण में अधिकृत जल स्रोतों से जल उपयोग किया जाएगा। प्री मिक्स कंक्रीट, क्योरिंग एजेंट आदि के जरिए कम जल खपत वाली निर्माण विधियां अपनाई जाएंगी। निर्माण स्थलों पर पेयजल केवल पीने व मानवीय गतिविधियों, कंक्रीट कार्यों में प्रयोग होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों और मनोरंजन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन व्यवस्था होगी।

नई योजना बनाने से पहले सर्वेक्षण होगा और 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली योजनाओं के ले आउट प्लान में पार्कों और खुले क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित भूमि में इसके लिए एक प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा। पार्कों में कंक्रीट का निर्माण पांच प्रतिशत ही किया जाएगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली 300 वर्ग मीटर और अधिक सभी ग्रुप हाउसिंग में अनिवार्य होगी। पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर होंगे।

प्रदेश 30s

### सैदनगर में दंपति को कार ने रौंदा, पति की मौत

सैदनगर। खौद लालपुर रोड पर बुधवार देर रात अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दंपति को रौंद डाला। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। रामपुर तोपखाना हजरतपुर निवासी खुर्शीद (52) पत्नी रईसी के साथ बुधवार को बाइक से रिश्तेदारी में बजावाला गांव गए थे। रात करीब 10 बजे दोनों वापस घर लौट रहे थे। बताते हैं जैसे ही दोनों लालपुर रोड पर पहुंचे तो पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

### प्रेमी संग जाने की जिद पर अड़ी विवाहिता, हंगामा

हसनपुर। विवाहिता को लेकर बुधवार रात हसनपुर कोतवाली गेट पर उसके मायके वालों व प्रेमी के परिजनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। विवाहिता प्रेमी के घर जाने की जिद पर अड़ गई। धक्का मुक्की व खींचतान के बीच मायके वाले उसे घर ले गए। हसनपुर नगर निवासी युवती की शादी एक वर्ष पूर्व सैद नगली कस्बा निवासी युवक के साथ हुई थी। इस बीच विवाहिता के नैन ससुराल के पड़ोस में रहने वाले युवक से लड़ गए। दो दिन पूर्व विवाहिता ससुराल को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई।

### चौकी प्रभारी सहित 39 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

संभल। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बुधवार रात विभिन्न थानों में तैनात एक चौकी प्रभारी समेत 39 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। धनारी थाने की सुल्तानगढ़ चौकी प्रभारी सुनील कुमार दिवाकर सहित तीन सिपाही, नखासा थाने के तीन सिपाही, रजपुरा से तीन, बबराला से चार, रायसत्ती से एक, संभल कोतवाली से दो, हजरतनगर गढ़ी से दो, असमोली से दो, कुढ़फतेहगढ़ से दो, कैलादेवी व जुनावई से एक-एक, बनियाठेर से दो सिपाही शामिल हैं।

### जज के सामने चाकू निकाल महिला ने धमकाया

वाराणसी। एसीजेएम (षष्ठम) की कोर्ट में गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने हंगामा करते हुए अचानक बैग से चाकू निकाल लिया। आनन-फानन में पुलिसकर्मियों ने महिला को हिरासत में ले लिया गया। मिर्जामुराद क्षेत्र की 30 वर्षीय महिला दोपहर में अचानक कोर्ट में पहुंच गई। अधिवक्ताओं से कहने लगी कि उसके साथ मारपीट हुई है। इस मामले में वह कोर्ट के जरिये केस कराना चाह रही है। अधिवक्ताओं ने उसे समझाया तो से चाकू निकाल धमकाने लगी।

pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon !
Oriental United
सर्किल ऑफिस: रामगंगा विहार
निकट सेल्स टैक्स ऑफिस, मुरादाबाद

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) का परंतुक) के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसाकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदारों/गारंटीदाताओं/बंधकदाताओं (इसमें कर्जदारों के रूप में निर्दिष्ट) से वसूली हेतु मांग सूचना जारी की है। इसके अलावा, "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002" में निर्दिष्ट अधिकारों के अनुपालन में, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदान की गई ऋण/उधार सुविधाओं के संबंध में प्रतिभूतियों के रूप में धारित निम्नांकित आस्तियों का कब्जा ले लिया है। जैसाकि पंजाब नैशनल बैंक के बकाया प्रतिभूत ऋणों के वसूली हेतु सार्वजनिक ई-नीलामी के जरिए प्रतिभूत आस्तियों का बिक्री की जानी है, जनसाधारण को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा बोली देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय- 27.03.2026 को पूर्वा. 11 बजे से सायं 4.00 बजे तक | ईएमडी जमा की अंतिम तिथि - नीलामी के पहले

| क्र. सं. | खाता/कर्जदार/गारंटीदाता/बंधकदाता का नाम एवं शाखा का नाम | सम्पत्तियों (चल/अचल) के विवरण/स्वामी का नाम | धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना की तिथि | 13(2) के अनुसार बकाया रकम (लाख में) | कब्जा की प्रकृति | आरक्षित मूल्य (लाख में) | धरोहर राशि | बोली वृद्धि राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मो. सुलेमान पुत्र शहजादे शाखा : बिलारी | वह सभी कुछ जो कि मो. सुलेमान पुत्र शहजादे के नाम में संपत्ति अवस्थित मोहल्ला ठकिरान नॉर्दर्न ईस्टर्न वार्ड नं.-13, टॉउन बिलारी, जिला मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 2481, पेज: 119 से 142, क्रम सं. 5724, दिनांक: 12.10.2009 में पंजीकृत, कुल एरिया-156.07 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व- जमील अहमद का मकान, पश्चिम-रास्ता गली बाबु नाला, उत्तर- रास्ता खाम 20 फीट चौड़ा, दक्षिण- गली नगर पालिका परिषद बिलारी | 30.04.2025 | 16.71 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 48.16 लाख | रु. 4.82 लाख | 25000 |
| 2. | अजय सिंह शाखा: अमरोहा गेट | ईएम: आवासीय मकान अवस्थित खसरा नं.: 2151 का पार्ट, गांव लकड़ी फाजलपुर, निकट ब्रह्मा आटा प्लांट, मुरादाबाद (उ.प्र.), एरिया 49.43 वर्ग मीटर, (श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री अजय सिंह के नाम में), बुक नं. 1, जिल्द नं. 14877, पेज 1-24, क्रम सं. 22315, दिनांक: 20.12.2018 में पंजीकृत तथा मांग सूचना दिनांक 26.05.2025 में निर्देशित बकाया के भुगतान की मांग की। परिसीमा: पूर्व-रास्ता 12 फीट चौड़ा, पश्चिम-अराजी दिनेश चंद्र, उत्तर- श्रीमती ज्योति का प्लॉट, दक्षिण- अराजी दीगर व्यक्ति। | 30.04.2025 | 10.54 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 14.85 लाख | रु. 1.49 लाख | 25000 |
| 3. | भूपराम शाखा: मिलक | वह सभी कुछ जो कि अरविन्द कुमार पुत्र बुद्ध सेन तथा राम श्री पत्नी बुद्ध सेन के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 244, गांव मिलक नसीराबाद, तहसील-मिलक, जिला रामपुर, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 3844, पेज: 399 से 462, क्रम सं. 3815, दिनांक: 14.05.2019 में एस.आर. ऑफिस रामपुर में पंजीकृत, कुल एरिया-0.0695 हेक्टे. अथवा 695 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व- मिलक-विक्रमपुर रोड, पश्चिम-फार्म अब्दुल रहमान, उत्तर- फार्म ता प्रसाद, दक्षिण- झनझन लाल का फार्म | 18.07.2025 | 14.31 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 36.63 लाख | रु. 3.67 लाख | 25000 |
| 4. | मो. समीर शाखा: रामपुर रोड | वह सभी कुछ जो कि मो. समीर पुत्र मोहम्मद हनीफ के नाम में संपत्ति अवस्थित एलआईजी प्लॉट नं. 77, सीतापुरी दास सराय आवासीय योजना तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 15801, पेज: 399 से 424, क्रम सं. 20379, दिनांक: 26.11.2019, एस.आर. ऑफिस मुरादाबाद में पंजीकृत, कुल एरिया-60.00 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व- एलआईजी प्लॉट नं. 76, पश्चिम-एलआईजी प्लॉट नं. 78, उत्तर-6.00 मीटर चौड़ी रोड तथा पार्क, दक्षिण- एलआईजी प्लॉट नं. 66 | 10.06.2025 | 5.09 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 10.2 लाख | रु. 10.01 लाख | 25000 |
| 5. | फरीदा शाखा: बुद्धि विहार | वह सभी कुछ जो कि फरीदा पुत्र शाहादत हुसैन के नाम में संपत्ति अवस्थित मोहल्ला डांग तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 14702, पेज: 225 से 238, क्रम सं. 13529, दिनांक: 20.10.2023 में पंजीकृत, माप एरिया-32.36 वर्ग मीटर। परिसीमा:उत्तर- रास्ता मुस्तरका 1.22 वर्ग मीटर तथा जज मे हाउस लियाकत, दक्षिण- मकान ऋतुराज, पूर्व-मकान मुख्तार हुसैन एवं अन्य, पश्चिम- मकान खुबरा बेगम | 19.12.2024 | 9.77 + ब्याज एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 21.42 लाख | रु. 2.15 लाख | 25000 |
| 6. | सचिन शाखा: रामपुर रोड मुरादाबाद | वह सभी कुछ जो कि सचिन पुत्र लेखराज सिंह एवं बबिता पत्नी सचिन के नाम में संपत्ति अवस्थित ई.डब्ल्यू.एस. मकान नं. 13ए/289 सेक्टर 13, नया मुरादाबाद आवासीय योजना, शहर एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 13857, पेज: 355 से 370, क्रम सं. 6951, दिनांक: 29.06.2022 में पंजीकृत, कुल एरिया-28.51 वर्ग मीटर। परिसीमा: उत्तर- 6 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण- गांव, पूर्व-भवन सं. 13ए/288, पश्चिम- भवन सं. 13ए/290 | 27.05.2024 | 10.53 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 9.28 लाख | रु. 0.93 लाख | 10000 |
| 7. | मनीता शाखा: रामपुर रोड मुरादाबाद | वह सभी कुछ जो कि मनीता पत्नी राज कुमार सिंह के नाम में संपत्ति अवस्थित ई.डब्ल्यू.एस. मकान नं. 13ए/182, सेक्टर 13, नया मुरादाबाद आवासीय योजना, शहर एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 13431, पेज: 45 से 62, क्रम सं. 8853, दिनांक: 04.09.2021 में पंजीकृत, कुल एरिया-26.40 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व- रास्ता 6 मीटर चौड़ा/पार्क, पश्चिम-ईडब्ल्यूएस मकान, उत्तर-मकान नं. 13ए-183, दक्षिण-मकान नं. 13ए-181 | 04.08.2025 | रु. 9.65 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 9.31 लाख | रु. 0.94 लाख | 10000 |
| 8. | सुनील कुमार शाखा: केयूएमएस | वह सभी कुछ जो कि सुनील कुमार पुत्र नेपाल सिंह तथा आरती पत्नी सुनील कुमार के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 67, गांव जयंतीपुर पश्चिमी, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 14351, पेज: 259 से 272, क्रम सं. 4084, दिनांक: 29.03.2023 में पंजीकृत, कुल एरिया-37.275 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व-प्लॉट विक्रेता, पश्चिम-प्लॉट दिनेश शर्मा, उत्तर-प्लॉट राजेश, दक्षिण-रास्ता 10 फीट चौड़ा | 16.09.2025 | 5.89 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 6.54 लाख | रु.0.66 लाख | 10000 |
| 9. | अंकित शाखा: केयूएमएस | वह सभी कुछ जो कि अंकित कुमार पुत्र हरपाल सिंह के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 2412 मिन/2 मोहल्ला पीपटपुरा राजस्व गांव लकड़ी फाजलपुर,तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 14809, पेज: 131 से 144, क्रम सं. 16453, दिनांक: 20.12.2023 में पंजीकृत, कुल एरिया-35.00 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व-दान में दिया गया प्लॉट (श्रीमती उषा), पश्चिम-रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर-अराजी दीगर, दक्षिण-रास्ता 18 फीट चौड़ा | 01.09.2025 | 10.08 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु.11.31 लाख | रु. 1.14 लाख | 25000 |
| 10. | संतोष कुमार शाखा: केयूएमएस | वह सभी कुछ जो कि संतोष कुमार पुत्र कृष्ण पाल सिंह के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 824, अवस्थित मोह. अम्बेडकर नगर (राजस्व गांव लकड़ी फाजलपुर) तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 15839, पेज: 53 से 76, क्रम सं. 21141, दिनांक: 09.12.2019 में पंजीकृत, कुल एरिया-35.13 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व-प्लॉट विष्णु, पश्चिम-अराजी विक्रेता, उत्तर-रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण-खेत दुर्गा | 18.11.2025 | 9.69 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु.7.54 लाख | रु. 0.76 लाख | 10000 |
| 11. | शगुफ्ता शाखा: केयूएमएस | वह सभी कुछ जो कि शगुफ्ता पत्नी वासिफ खान के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 782, गांव मऊ सहारनपुर रेलवे लाइन के दक्षिण में नई विकसित आबादी, मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 18684, पेज: 87 से 102, क्रम सं. 5899, दिनांक: 19.04.2023 में पंजीकृत, कुल एरिया-54.10 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व-रास्ता 12 फीट चौड़ा, पश्चिम-प्लॉट श्रीमती परवेश, उत्तर-श्रीमती रईस का प्लॉट, दक्षिण-प्लॉट दीगर व्यक्ति | 04.09.2025 | 9.45 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 8.55 लाख | रु. 0.86 लाख | 10000 |
| 12. | मनोज कुमार शाखा: केयूएमएस | वह सभी कुछ जो कि मनोज कुमार पुत्र राजबीर सिंह के नाम में संपत्ति अवस्थित खसरा नं. 2253, मोहल्ला पीपटपुरा राजस्व गांव लाकड़ी फाजलपुर, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उ.प्र., बुक नं. 1, जिल्द नं. 17429, पेज: 387 से 400, क्रम सं. 20805, दिनांक: 26.10.2021 में पंजीकृत, कुल एरिया-35.00 वर्ग मीटर। परिसीमा: पूर्व-रास्ता 12 फीट चौड़ा, पश्चिम-रमेश कुमार का प्लॉट, उत्तर-अराजी प्रथम पक्ष, दक्षिण-अराजी प्रथम पक्ष | 04.09.2025 | 6.89+ ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 7.87 लाख | रु. 0.79 लाख | 10000 |
| 13. | श्रीमती नीलम पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह शाखा: गजरौला | ईएम: आवासीय संपत्ति अवस्थित गाटा नं. 554 का पार्ट, मोहल्ला मायापुरी, निकट आशाराम फिलिंग स्टेशन, गजरौला, तहसील-धनौरा, अमरोहा (उ.प्र.) एरिया 86.40 वर्ग मीटर (श्रीमती नीलम पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह के नाम में), बुक नं. 01, जिल्द नं. 7009, पेज: 159-178, क्रम सं. 1652, दिनांक: 03.02.2020 में पंजीकृत। परिसीमा:उत्तर- रास्ता 16 फीट चौड़ा, दक्षिण-अंजना सिंह का रिक्त प्लॉट, पूर्व-जितेन्द्र अग्रवाल का रिक्त प्लॉट, पश्चिम-आदेश कुमार का रिक्त प्लॉट। | 01.07.2025 | 7.13 + ब्याज दर एवं अन्य प्रभार | सांकेतिक | रु. 7.34 लाख | रु. 0.74 लाख | 10000 |

कृपया इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिवसीय सांविधिक नोटिस पढ़ें

ई-नीलामी "जहां है जैसा है" और "जो है जैसा है जैसा है" के आधार पर की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। नीलामी बैंक के अनुमोदित वेब पोर्टल https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन ई-नीलामी, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और शर्तें ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व न तो गठित करता है और न ही ऐसा इरादा रखता है। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेची जा रही है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com, संपर्क नंबर +91 8291220220 पर प्रकाशित किए गए हैं। उच्चतम बोली लगाने वाले को संबंधित ईएमडी खाता में बोली/बिक्री राशि का 25% तत्काल (यानी उसी दिन या अगले कार्यदिवस के बाद नहीं) जमा करना होगा। जमा धरोहर राशि उसी 25% में समायोजित कर ली जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर 25% राशि जमा नहीं की जाती है, तो जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी को बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष 75% जमा करना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर 75% राशि जमा नहीं की जाती है, तो 25% भी जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभागी का संपत्ति पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - सर्किल कार्यालय, मुरादाबाद, श्री राजीव सिन्हा: 7044481471

दिनांक: 19.02.2026 स्थान: मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

## गुन्नौर में 14 हजार की घूस लेते कानूनगो समेत दो दबोचे

जांच शुरू

- मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई
- दोनों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस

गुन्नौर (संभल), संवाददाता। एंटी करप्शन (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) की टीम ने गुरुवार को गुन्नौर तहसील परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कानूनगो और उसके निजी मुंशी को 14 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए मुंशी महेंद्र पाल अपने आप को अधिवक्ता बता रहा था। आरोपियों ने एडीएम कोर्ट में चल रहे नक्शा दुरुस्तीकरण के एक मामले में रिपोर्ट लगाने के नाम पर यह रकम मांगी थी। गुन्नौर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की मुरादाबाद इकाई को गांव डंडूमरा निवासी बलवीर ने शिकायत दी थी।

बलवीर के मुताबिक, एडीएम कोर्ट संभल में उनका नक्शा दुरुस्तीकरण का एक वाद लंबित है। इस मामले में रिपोर्ट लगाने के नाम पर कादराबाद क्षेत्र के संबंधित कानूनगो तस्लीम अहमद और उनके निजी मुंशी महेंद्र पाल 14 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। निरीक्षक नवल मारवाह के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। गुरुवार को टीम ने गुन्नौर तहसील स्थित कानूनगो कार्यालय में दबिश दी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम आरोपियों को सौंपी, टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गुन्नौर इंस्पेक्टर राजीव मलिक ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है।

## रामपुर : गबन में फंसे सैफनी के चेयरमैन व तत्कालीन ईओ

शासन को रिपोर्ट

- नौ सभासदों ने लगाए थे आरोप, पुष्टि के बाद कमिश्नर ने भेजी रिपोर्ट

रामपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर पंचायत सैफनी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। सपा से जुड़े चेयरमैन फैजान खां और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) पुष्पेंद्र राठौर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि जांच में हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर ने गुरुवार को शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेज दी है, जिससे विभाग और स्थानीय राजनीति में हड़कंप मच गया है।

मालूम हो कि जनवरी माह में नौ सभासदों ने सपा से जुड़े सैफनी नगर पंचायत के चेयरमैन फैजान खां और निवर्तमान ईओ पुष्पेंद्र राठौर के खिलाफ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से शिकायत कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और टीएसी जांच कराने की मांग की थी। आरोप था कि बिना बोर्ड की बैठक कराए ही फर्जीवाड़ा कर चेयरमैन ने अपनी निजी संपत्ति पर करोड़ों रुपयों के कार्य कराए हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग है। आरोप है कि 20 हैंडपंपों में भी घोटाला किया गया, जिनकी वास्तविक कीमत 10 से 15 हजार है, वह 50 हजार रुपये दर्शायी गई। आरोप है कि ओपन जिम आकांक्षी योजना में भी घोटाला किया गया। इस मामले में शासन ने मंडलायुक्त से रिपोर्ट तलब की थी। जिस पर कमिश्नर ने अपर आयुक्त द्वितीय से जांच कराई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई है। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि पालिकाध्यक्ष और निवर्तमान ईओ पर लगे आरोपों की जांच कराई गई थी, जिसमें जांच आख्या के आधार पर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

## लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी भरण पोषण की हकदार

मुरादाबाद का मामला

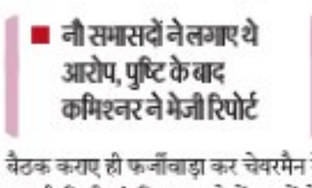



- महिला को मिलेगा भरण-पोषण, शादी का ठोस प्रमाण जरूरी नहीं
- याचिकाकर्ता ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही शादी का औपचारिक या ठोस कानूनी प्रमाण उपलब्ध न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने मुनीश कुमार द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया।

याचिकाकर्ता ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी साथी महिला को 12,000 रुपये तथा बेटे को 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। उसका तर्क था कि विवाह केवल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुआ, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं है, इसलिए महिला कानूनी पत्नी नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चममुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का हवाला देते हुए कहा कि 'पत्नी' शब्द की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और पुरुष कानूनी पेचीदगी का लाभ उठाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। याचिकाकर्ता रेलवे में लोको पायलट है और उसकी शुद्ध मासिक आय लगभग 70,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक आय भरण-पोषण में दी जा सकती है। इस आधार पर 18,000 रुपये की राशि उचित ठहराई गई।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य महिला और बच्चे को आर्थिक असुरक्षा और बेघर होने से बचाना है। याचिका खारिज कर फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।

Scanned with OKEN Scanner